



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04012022-232402
CG-DL-E-04012022-232402

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 4, 2022/पौष 14, 1943

No. 36]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 4, 2022/PAUSHA 14, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2022

का.आ. 37(अ).—केंद्रीय सरकार, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 11क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और यह समाधान हो जाने पर कि “मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड”, रिपोर्टकर्ता इकाई ने आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016, (2016 का 18) के अधीन गोपनीयता और सुरक्षा के मानकों का पालन किया है और ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है तथा आधार आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और विनियामक प्राधिकारी अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् उक्त विनिर्दिष्ट रिपोर्टकर्ता इकाई को धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 11क के अधीन भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का आधार अधिप्रमाणन सेवा कार्य संपन्न करने हेतु अधिसूचित करती है।

[फा. सं. 12011/11/2021 ईएस सेल-डीओआर]

अरविंद सरन, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th January, 2022

S.O. 37(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11A of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government on being satisfied that the reporting entity namely, “M/s. PNB Housing Finance Limited” complies with the standards of privacy and security under the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), and it is necessary and expedient to do so, and after consultation with the Unique Identification Authority of India established under sub-section (1) of section 11 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 and the appropriate regulatory namely, the Reserve Bank of India, hereby permits the said reporting entity to perform authentication under the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 for the purposes of section 11A of the Prevention of Money-laundering Act, 2002.

[F. No. P-12011/11/2021-ES Cell-DOR]

ARVIND SARAN, Director